215(S)
16/01/17

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग
संकल्प

विषय :— पथ निर्माण विभाग के अधीन महासेतु एवं सेतुओं के प्रबंधन हेतु विभागाधीन गंगापुल परियोजना उपभाग को सेतु प्रबंधन उपभाग के रूप में पुनर्गठित कर इसका सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण के साथ अतिरिक्त 10 विशेषज्ञ अभियंताओं के रू० 79,84,848/—(उन्यासी लाख चौरासी हजार आठ सौ अड़तालिस) के वार्षिक व्यय पर पदों का सृजन के संबंध में।

राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों से सड़क मार्ग द्वारा राजधानी पटना की यात्रा 6 घंटे में तय करने के राज्य सरकार का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। इस लक्ष्य को पाने के लिए सड़कों के प्रभावी नेटवर्क के साथ अनेकों मेगा, वृहद् एवं लघु पुलों तथा पुलियों का निर्माण किया गया है। सड़कों एवं पुलों के कारगर नेटवर्क निर्माण से सामाजिक क्षेत्रों सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार इत्यादि क्षेत्रों में भी व्यापक बदलाव आया है। पुलों एवं पथों के निर्माण एवं पुनरूद्धार कार्यों के तकनीक में विश्व स्तर पर अपनाई जा रही आधुनिक तकनीकी (Latest Technologies) को अपनाने की आवश्यकता है। साथ ही अच्छी सड़क एवं पुलों का लाभ लगातार प्राप्त होता रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए सेतु संरचना का कुशल प्रबंधन एवं सतत् प्रभावी अनुरक्षण भी आवश्यक है।

2. **वर्त्तमान व्यवस्था** :— पूर्व में रू० 25.00 लाख से अधिक लागत वाले पुलों का निर्माण बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (BRPNNL) द्वारा किया जाता था। गत वर्ष यह निर्णय लिया गया कि 60.00 मीटर से अधिक लम्बाई के पुलों का निर्माण बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा किया जाएगा तथा 60.00 मीटर से कम लम्बाई वाले पुलों का निर्माण जिला के संबंधित पथ प्रमंडल द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना के अधीन रू० 25.00 लाख से अधिक लागत वाले पुलों का निर्माण भी बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, जिनके द्वारा विगत वर्षों में राज्य में लगभग 11 महासेतु, 578 वृहद् सेतु, 3 फ्लाई ओवर एवं 1051 अन्य सेतुओं का निर्माण किया गया है एवं निर्माण जारी है। इसके अतिरिक्त कार्य प्रमंडलों द्वारा भी लघु सेतु तथा पुलिया का निर्माण कराया गया है। पथ निर्माण विभाग के पथों पर अनेक पुल काफी पुराने एवं पुरानी तकनीकी के रहने के कारण नई IRC मार्गदर्शिका के आलोक में चरणबद्ध रूप से इसका मजबूतीकरण एवं पुनर्स्थापन भी आवश्यक है।

पुलों एवं फ्लाई ओवर के निर्माण के पश्चात् बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा संबंधित क्षेत्र के पथ प्रमंडल को रख रखाव हेतु हस्तान्तरित कर दिया जाता है। वर्त्तमान में पुल की मरम्मति की व्यवस्था आवश्यकता आधारित है, जिसे योजना के रूप में प्राक्कलन तैयार कर इसकी मरम्मति की जाती है। इन पुलों के व्यापक पुनरूद्धार की आवश्यकता की स्थिति में आधुनिक तकनीकी (Latest technologies) इत्यादि को अपनाने के विकल्प पर विचार करने हेतु कोई विशेषीकृत/संस्थागत व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। फलस्वरूप संधारण/पुनर्निर्माण हेतु ससमय उचित कार्रवाई नहीं होने से कालान्तर में अधिक व्यय भी सम्भावित रहता है। पुलों के निर्माण के पूर्व इसके निरूपण तथा संबंधित drawings, तथा निर्माण के पश्चात as built (यथा निर्मित) drawings इत्यादि का कुशल कागजीकरण (documentation) एवं प्रबंधन, पुल निर्माण के क्षेत्र में हो रहे आधुनिक शोध, विकास एवं पुलों के प्रबंधन की व्यवस्था वर्त्तमान में नहीं है।

3. **उद्देश्य एवं प्रस्तावना** :—

राज्य की बड़ी नदियों यथा गंगा नदी पर पटना में महात्मा गाँधी सेतु, भागलपुर में विक्रमशीला सेतु, कोशी नदी पर सहरसा जिला में बलुआहा घाट एवं गंडौल के बीच महासेतु, भागलपुर जिलान्तर्गत विजय घाट पर महासेतु, गंडक नदी पर पश्चिमी चम्पारण जिलान्तर्गत धनहा

से रतवल घाट पर महासेतु, सोन नदी पर अरवल जिलान्तर्गत अरवल सहार के बीच महासेतु, पटना शहर में फ्लाई ओवर्स इत्यादि के निर्माण के पश्चात् इनके निरूपण एवं as built drawings इत्यादि अभिलेखों का रख रखाव तथा पुलों के संधारण इत्यादि हेतु कुशल प्रबंधन की व्यवस्था नहीं रहने के कारण काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। फलस्वरूप महासेतुओं तथा वृहद् सेतुओं के कुशल प्रबंधन हेतु एक विशेषीकृत संस्थागत व्यवस्था की आवश्यकता महसूस की गई है।

सड़क परिवहन, राजमार्ग एवं पोत परिवहन भारत सरकार द्वारा भी पुलों के प्रबंधन हेतु पृथक निदेशालय के गठन की आवश्कता बताई गई है। अतः राज्य अवस्थित मेगा एवं वृहद् पुलों के प्रबंधन हेतु एक पृथक विशेषीकृत इकाई का गठन आवश्यक है।

विभाग के अधीन गंगापुल परियोजना उपभाग को सेतु प्रबंधन उपभाग के रूप में परिवर्तित कर इसके मानव बल एवं आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने से राज्य के पुलों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

4. **गंगापुल परियोजना उपभाग का वर्त्तमान स्वरूप :–**

महात्मा गाँधी सेतु के निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा ''गंगापुल परियोजना उपभाग'' का गठन किया गया था। वर्त्तमान में महात्मा गाँधी सेतु राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या–19 का अंश है, फलस्वरूप यह पुल अब सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के स्वामित्व में है। गंगापुल परियोजना उपभाग के अंचल एवं प्रमंडल अन्यत्र समायोजित कर दिए गए हैं एवं अवशेष कार्यरत एक उपभाग एवं एक अंचल का कार्यभार नगण्य है। गंगापुल परियोजना उपभाग तथा इसके अधीन रूपांकण सह यांत्रिक अंचल, गंगापुल परियोजना के अधीन विभिन्न कोटि के कुल 51 पदाधिकारी/कर्मी का पद स्वीकृत है तथा स्वीकृत पद के विरूद्ध वेतनादि मद में अनुमानित व्यय कुल रू० 2,88,87,377.00 (रूपये दो करोड़ अठासी लाख सतासी हजार तीन सौ सतहत्तर) मात्र है।

मुख्य अभियंता, गंगापुल परियोजना उपभाग के वेतनादि मद का व्यय माँग संख्या–41 के मुख्य शीर्ष –3054 सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष – 80 सामान्य लघु शीर्ष–001– निदेशन तथा प्रशासन उपशीर्ष – 0001 निदेशन मतदेय, विपत्र कोड N3054800010001 तथा अधीक्षण अभियंता, रूपांकण सह यांत्रिक अंचल, गंगापुल परियोजना के स्थापना मद का व्यय माँग संख्या–41 के मुख्य शीर्ष –3054 सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष – 80 सामान्य लघुशीर्ष–001– निदेशन तथा प्रशासन उपशीर्ष – 0002 पर्यवेक्षण मतदेय विपत्र कोड N3054800010002 के अधीन होता है।

5. प्रशासी पदवर्ग समिति को प्रस्तावित सेतु प्रबंधन उपभाग के अधीन पूर्व से स्वीकृत 51 पदों के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार निम्नलिखित 16 पदों के सृजन हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया था :–

क्र० सं०	पदनाम	स्वीकृत किए जाने वाले पदों की संख्या	वेतनमान	ग्रेड वेतन	अभ्युक्ति
1	अधीक्षण अभियंता	1	37,400–67,000	8700/–	
2	कार्यपालक अभियंता	3	15,600–39,100	6600/–	
3	सहायक अभियंता/ प्राक्कलन पदाधिकारी	9	9300–34,800	5400/–	
4	कनीय अभियंता	1	9300–34,800	4200/–	
5	लेखा पदाधिकारी	1	15600–39,100	5400/–	
6	अमीन	1	5200–20,200	2400/–	
कुल पद		16			

6. प्रशासी पदवर्ग समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्तावित पदों के विरूद्ध विशेषज्ञ अभियंताओं का 10 पद स्वीकृत किया गया। जिसे कोटिवार निम्नरूप में कर्णांकित किया जाता है :–

क्र० सं०	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	वेतनमान	ग्रेड वेतन	अभ्युक्ति
1	मुख्य सेतु विशेषज्ञ (अधीक्षण अभियंता समकक्ष)	1	37,400–67,000	8700/–	
2	उप मुख्य सेतु विशेषज्ञ (कार्यपालक अभियंता समकक्ष)	3	15,600–39,100	6600/–	
3	सेतु विशेषज्ञ (सहायक अभियंता /प्राक्कलन पदाधिकारी समकक्ष)	6	9300–34,800	5400/–	
कुल पद		**10**			

7. **प्रस्तावित पुनर्गठित उपभाग की मुख्य संरचना :–**

प्रशासी पदवर्ग समिति द्वारा स्वीकृत किये गये उपरोक्त कंडिका 6 में 10 विशेषज्ञ अभियंताओं के पद को लेकर गंगा पुल परियोजना को पुनर्गठित कर सेतु प्रबंधन उपभाग में किया जाएगा। इसका मुख्यालय पथ निर्माण विभाग, पटना होगा एवं इसकी मानव संसाधन के संरचना पूर्व में गंगापुल परियोजना के अधीन विभिन्न कोटि के 51 स्वीकृत बल के अतिरिक्त पदवर्ग समिति से स्वीकृत 10 विशेषज्ञ अभियंताओं को लेकर कुल 61 होगा।

8. प्रस्तावित पुनर्गठित उपभाग हेतु नवसृजित 10 विशेषज्ञ अभियंताओं के वेतनादि मद में कुल वार्षिक व्यय रू० 79,84,848.00 (उन्यासी लाख चौरासी हजार आठ सौ अड़तालिस) रुपये मात्र अनुमानित है।

9. पूर्व से स्वीकृत बल के अतिरिक्त पदवर्ग समिति से स्वीकृत उपरोक्त कंडिका 6 में कोटिवार दर्शायी गई 10 पदों को लेकर प्रस्तावित उपभाग का तकनीकी संस्थागत संरचना (Organisational Chart) निम्नवत होगा :–

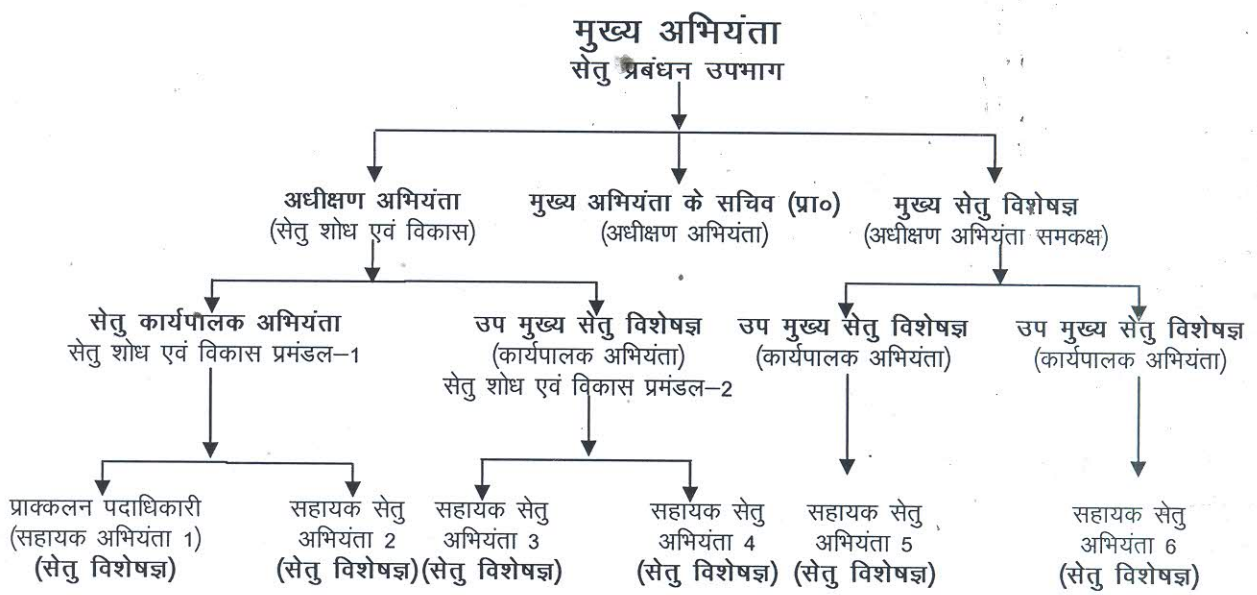

10. विगत वर्षों में राज्य में लगभग 1700 सेतु/वृहद सेतु/महासेतु/Fly Over का निर्माण किया गया है, के संरचनाओं का रख–रखाव, इसके प्रभावी अनुरक्षण हेतु विशिष्ट/आधुनिक तकनीकी अपनाने की आवश्यकता है। संवर्गीय अभियंताओं में विशिष्टता प्राप्त अभियंताओं के अनुपलब्धता की स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित संविदा के आधार पर नियुक्ति से संबंधित नियमावली/प्रावधानों के तहत उक्त सृजित पदों के विरूद्ध विशेषज्ञ अभियंताओं/सेवानिवृत अभियंताओं जिन्हें सेतु कार्यों का अनुभव हो एवं विशेषज्ञता हासिल हो, कि नियुक्ति संविदा के आधार पर आवश्यकतानुसार की जा सकेगी, जिससे राज्य में निर्मित सेतु/महासेतु/वृहद सेतु के प्रबंधन में सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण के साथ–साथ सेतु प्रबंधन का कौशल विकास हो।

विभाग के संवर्गीय अभियंता जिन्हें सेतु के क्षेत्र में अनुभव और विशेषज्ञता प्राप्त हो को भी इन विशेषज्ञ पदों के विरूद्ध पदस्थापित किया जा सकेगा।

11. नए स्वरूप में पुनर्गठित विशेषीकृत उपभाग के द्वारा कुशल प्रबंधन से परिणामी लाभ किफायती होगा एवं राज्य में निर्मित पुलों की देख–रेख हेतु व्यवस्थागत ढाँचा विकसित होगी अतः प्रस्ताव है कि पथ निर्माण विभाग के अधीन महासेतुओं एवं सेतुओं के प्रबंधन हेतु विभागाधीन गंगापुल परियोजना उपभाग को सेतु प्रबंधन उपभाग के रूप में पुनर्गठित कर सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण किया जाय।

11.1 मुख्य अभियंता, गंगा पुल परियोजना उपभाग को इनके अधीनस्थ 51 पदों के साथ नवसृजित 10 विशेषज्ञ अभियंताओं के साथ समेकित रूप से **सेतु प्रबंधन उपभाग** के रूप में पुनर्गठित किया जाता है।

11.2 पुनर्गठित सेतु प्रबंधन उपभाग के सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु पूर्ववर्ती गंगा पुल परियोजना उपभाग के स्वीकृत 51 पदों के अतिरिक्त कंडिका "6" में अंकित नवसृजित 10 विशेषज्ञ अभियंताओं के वेतनादि मद में कुल वार्षिक व्यय रू० 79,84,848.00 (उन्यासी लाख चौरासी हजार आठ सौ अड़तालिस) रूपये मात्र की अनुमानित लागत पर पद सृजन की स्वीकृति दी जाती है।

11.3 विशिष्ट अभियंताओं का संवर्गीय अभियंताओं में अनुपलब्धता की स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित संविदा के आधार पर नियुक्ति से संबंधित नियमावली/प्रावधानों के तहत उक्त सृजित पदों के विरूद्ध विशेषज्ञ अभियंताओं/सेवा निवृत्त अभियंताओं जिन्हें सेतु कार्यों का अनुभव हो एवं विशेषज्ञता हासिल हो, कि नियुक्ति संविदा के आधार पर आवश्यकतानुसार की जायेगी।

11.4 पुनर्गठित सेतु प्रबंधन उपभाग के वेतनादि मदों का व्यय माँग संख्या–41 के मुख्य शीर्ष–3054 सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष–80 सामान्य लघु शीर्ष–001–निदेशन तथा प्रशासन उपशीर्ष–0001 निदेशन मतदेय विपत्र कोड N3054800010001 के अधीन किया जाता है।

11.5 गंगापुल परियोजना उपभाग के सभी आस्तियों, यथा–गायघाट स्थित भू–खण्ड, आवासीय परिसर तथा सभी संबंधित अभिलेख (महात्मा गाँधी सेतु प्रमंडल हेतु कार्यालय परिसर छोड़कर) सेतु प्रबंधन उपभाग के अधीन हस्तान्तरित किया जाता है ताकि इसका उचित रख–रखाव हो सके और महात्मा गाँधी सेतु निर्माण हेतु अर्जित भू–खण्ड से संबंधित विस्थापितों का मामला भी मुख्य अभियंता, सेतु प्रबंधन उपभाग द्वारा निष्पादित किया जायेगा।

आदेश : **आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी विभागों/सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ भेजी जाय।**

बिहार राज्यपाल के आदेश से

13.1.17

(राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– प्र०11/विविध–03–12/2016 215(S) पटना,दिनांक 16/01/17

प्रतिलिपिः– संयुक्त सचिव, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना – 7 को दो हार्ड कॉपी एवं सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13.1.17

(राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता)
सरकार के अपर सचिव

d:\binod\prasad sir\sankalp 11-01-2017\draft 2017.docx

ज्ञापांकः–प्र०11/विविध–03–12/2016 215 (S) पटना,दिनांक 16/01/17

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13.1.17

(राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक :– प्र०11/विविध–03–12/2016 215 (S) पटना,दिनांक 16/01/17

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.1.17

(राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक :– प्र०11/विविध–03–12/2016 215 (S) पटना,दिनांक 16/01/17

प्रतिलिपि– विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.1.17

(राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–प्र०11/विविध–03–12/2016 215 (S) पटना,दिनांक 16/01/17

प्रतिलिपिः–सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिलाधिकारी/सभी उपायुक्त, बिहार/सचिव, पथ निर्माण विभाग के आप्त सचिव/माननीय उप मुख्य (पथ निर्माण) मंत्री के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग/सभी मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग (सभी उपभाग)/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता (सभी उपभाग)/विशेष पदाधिकारी (यातायात), पथ निर्माण विभाग/मुख्यालय स्थित सभी राजपत्रित पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.1.17

(राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–प्र०11/विविध–03–12/2016 215 (S) पटना,दिनांक 16/01/17

प्रतिलिपि :– अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं विभागीय वेवसाइट पर प्रसारित करने हेतु प्रेषित।

13.1.17

(राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता)
सरकार के अपर सचिव